शीर्ष प्राथमिकता/फैक्स/ई–मेल
संख्याः–265/6–पु0–15–2013

प्रेषक,

आर0एम0श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव
गृह, गोपन एवं सतर्कता विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

**गृह(पुलिस)अनुभाग–15** लखनऊः दिनांक 08 जुलाई, 2013

विषयः–**नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार की घटनाओं को रोका जाना।**

महोदय,

महिलाओं के बलात्कार एवं हत्या जैसे जघन्य अपराधों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। इधर हाल में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म एवं उसके बाद हत्या कर दिए जाने की घटनाएं समाज एवं शासन के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है। महिलाओं एवं अवयस्क बच्चियों के साथ यौन हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा पीड़िता को न्याय दिलाए जाने की प्रकिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से **'दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013'** लागू किया गया है जिसके माध्यम से भारतीय दण्ड विधान, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 के प्राविधानों को संशोधित किया गया है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु की किशोरियों व बच्चियों के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी व यौन दुराचार के मामलों में दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिलाए जाते हुए भारत सरकार द्वारा पास्को अधिनियम (The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) पारित किया गया है।

इन नृशंस अपराधों की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि सम्भावित असुरक्षित नाबालिग लड़कियों के अभिभावकों को उनके आसपास मंडराते खतरों से सावधान किया जाए तथा पुलिस प्रशासन के प्रयासों में उनकी सक्रिय सहभागिता प्राप्त की जाए।

इस संबंध में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कराएंः–

(1) जनपद के नगरीय क्षेत्रों विशेषतया slum areas अथवा ऐसी पुरानी एवं अविकसित नगरीय बस्तियों, जहां नाबालिग बच्चियां आसानी से ऐसे अपराधों की शिकार हो सकती हैं, में कम्यूनिटी पुलिसिंग के माध्यम से थानाध्यक्ष तथा सम्बन्धित पुलिस चौकी के प्रभारी के माध्यम से वहां के निवासियों के बीच जागरूकता–अभियान चलाया जाए। इस हेतु थाना/पुलिस चौकी स्तर पर क्षेत्र के सक्रिय नागरिकों की समितियां गठित की जाए और उसकी नियमित रूप से बैठकें की जाएं।

(2) इस जागरूकता अभियान में महिला अध्यापिकाओं(शिक्षा मित्रों सहित), आशा बहुओं तथा आंगनबड़ी कार्यकताओं की सहभागिता अत्यन्त उपयोगी होगी। इन महिला कार्मिकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से थाना/पुलिस चौकी स्तर पर गठित की गयी समितियों में अनिवार्य रूप से नामित करा दिया जाय तथा उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा हेतु अभिभावकों से सम्पर्क बनाये रखेंगी तथा उन्हें सावधान रहने की सलाह देती रहेंगी।

(3) समितियों के सदस्यों को प्रेरित किया जाए कि वे मोहल्लों के असामाजिक तत्वों, शोहदों और आवारा घूमने वाले मनचलों पर सतर्क निगाह रखें और जिनकी भी गतिविधियां सन्दिग्ध लगें, उनके सम्बन्ध में तत्काल पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष या चौकी प्रभारी को सूचित करें।

(4) नगरीय क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों की अविकसित पुरानी बस्तियों के समान ही ऐसी कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में भी करायी जाए। इस हेतु थाना एवं चौकी स्तर पर क्षेत्र के निवासियों की सहभागिता से समिति बनायी जाए। ऐसी समितियों की बैठक में ग्राम प्रधान, लेखपाल एवं ग्राम चौकीदार को अवश्य आमंत्रित किया जाय। ग्राम प्रधान, लेखपाल एवं ग्राम चौकीदार का दायित्व होगा कि वे ग्रामीणों को ऐसे अपराधों पर रोक लगाने एवं शोहदों पर सतर्क निगाह रखने हेतु प्रेरित करेंगे। यह देखा गया है कि शहरों में काम करने वाले एवं पढ़ने वाले लड़के जब छुट्टियों में गांव जाते हैं तो ऐसे अपराधों में उनके संलिप्त होने की सम्भावना बनी रहती है।

(5) जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य ऐसे अपराधों की समीक्षा कर लें। ऐसे अपराधों को घटित होने की दशा में दोनों वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि तत्काल मौके पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(6) उ0प्र0 पुलिस तथा उ0प्र0 राज्य महिला आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त **संकटकालीन मध्यस्थता केन्द्र की स्थापना** की जाय जो थाने पर बलात्कार आदि महिला उत्पीड़न की सूचना प्राप्त होने पर पीड़ित महिला की परामर्श तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिए तुरन्त पहुँचे। प्रत्येक जिले में इस उद्देश्य के लिए किसी एक अथवा अधिक स्वयंसेवी संस्था को चिन्हित किया जा सकता है। इन केन्द्रों/संस्थाओं का पता, टेलीफोन न0 तथा नोडल व्यक्ति का नाम जिले में तथा प्रत्येक थाने पर रखा जाय। थाने पर बलात्कार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थानाध्यक्ष/विवेचक जिले की Crisis Intervention सेन्टर को सूचित करेगा।

(7) भारतीय संविधान की धारा--38(1) में निहित निर्देशों के अनुपालन में बलात्कार पीड़ित महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक तथा मानसिक क्षति को ध्यान में रखकर उन्हें प्रतिपूर्ति दिया जाय। मा0न्यायालय द्वारा पीड़ित को क्षतिपूर्ति अभियुक्त के दोष सिद्वि पर दिया जायेगा, किन्तु बोर्ड द्वारा दोषसिद्व होने तथा दोषमुक्त होने की स्थिति में दिया जायेगा। क्षतिपूर्ति बोर्ड द्वारा क्षतिपूर्ति का आकलन करते समय पीड़िता के दर्द, पीड़ा, सदमा, गर्भधारण के कारण आजीविका की हानि, बच्चे के जन्म पर होने वाले खर्च आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(8) पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समय–समय पर सेमिनार/कार्यशाला आयोजित कर महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं के बारे में उन्हें संवेदनशील/प्रशिक्षित करेंगे। इस सम्बन्ध में न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान की सलाह से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाय तथा इस विषय के विशेषज्ञों जैसे--न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान के सदस्यों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, अभियोजन अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व अधिवक्ताओं को अतिथि प्रवक्ता के रूप में आमन्त्रित किया जाय।

(9) **महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में पुलिस प्रकिया निम्नानुसार अपनायी जायेगीः–**

1. प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी/कर्मी यथासंभव हर समय उपलब्ध रहेगी।
2. जैसे ही उपरोक्त किसी अपराध की सूचना मिलती है तो थाने के ड्यिूटी आफीसर थाने पर उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी को बुलवायेंगे। इस महिला अधिकारी का प्रथम दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला व उसके परिवार को सांत्वना व ढाढ़स देकर उन्हें आश्वस्त करें।
3. ड्यूटी आर्फीसर का यह दायित्व होगा कि वह कानूनी सहायता हेतु तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कानूनी सहायक स्वयंसेवी [Para-legal volunteer] या अधिवक्ता को बुलायेंगे, अगर पीड़ित महिला व उसके परिवार ने अपने किसी अधिवक्ता को नहीं बुलाया है। इस हेतु थाने पर ऐसे स्वयंसेवी अधिवक्ताओं की सूची होनी चाहिये, जो महिला उत्पीड़न सम्बन्धी अपराध में पीड़िता की मदद करना चाहते हैं।
4. इन अधिवक्ता की भूमिका होगी कि वह पीड़िता को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराये, मानसिक रूप से चिकित्सीय परीक्षण के लिए तैयार करें और थाने में बयान देने व वैधानिक प्रकिया के बारे में अवगत करायें। वह पीड़िता के साथ समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण होने तक रहेगें।

   यदि अधिवक्ता उपलब्ध नहीं होते हैं या अधिवक्ता के आने में विलम्ब है तो महिला पुलिस अधिकारी का दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये बिन्दु के अनुसार कार्यवाही करें और लगातार पीड़िता को ढाढस दिलाती रहे एवं निश्चिंत करती रहें।
5. अभियोग के पंजीकरण हेतु सूचना का अभिलेखीकरण दं0प्र0सं0 के संशोधन के अन्तर्गत, महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जायेगा।
6. यदि उपरोक्त अपराधों से पीड़ित महिला शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो सूचना का अभिलेखीकरण पीड़िता के घर पर या उसके चयनित स्थान पर अनुवादक या विशिष्ट शिक्षक की मौजूदगी में किया जाय।
7. उपरोक्त अभिलेखीकरण की वीडियोग्राफी कराई जायेगी।
8. उपरोक्त बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी तत्काल कराया जायेगा।

9. प्रारम्भिक विवेचना की कार्यवाही कर विवेचक उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी के साथ तुरन्त पीड़ित महिला को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जायेंगे।

10. उपरोक्त सभी अपराधों की सूचना तत्काल क्षेत्राधिकारी को दी जायेगी और क्षेत्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह पूरी विवेचना की व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेंगे।

11. पीड़ित महिला का 161 दं0प्र0सं0 का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाय। इस बयान को लेने के लिए पीड़ित महिला को किसी भी दशा में धारा 160 दं0प्र0सं0 का नोटिस देकर थाने या अन्यत्र स्थान पर नहीं बुलाया जायेगा। यह बयान पीड़ित महिला के घर पर ही लिया जाये।

12. यह बयान पीड़ित महिला से घर में एकान्त में लिया जायेगा। पीड़ित महिला के परिवार के सदस्य बयान के समय पीड़िता को निश्चिन्त करने हेतु उपस्थित रह सकते हैं।

13. यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम की बालिका है तो विवेचक तत्काल बाल कल्याण समिति को अवगत करायेंगे।

14. किसी भी दशा में अभियुक्त को, कार्यवाही शिनाख्त के अतिरिक्त, पीड़िता के समक्ष नहीं लाया जायेगा।

15. उन अपराधों को छोड़कर जिनमें सूचना रात्रि में प्राप्त होती है, पीड़िता को किसी भी दशा में रात्रि के समय थाने में नहीं रखा जायेगा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो पीड़ित महिला को उसके घर या महिला संरक्षण गृह में ही रूकवाया जायेगा।

16. विवेचक का दायित्व होगा कि वह तत्काल किसी एन0जी0ओ0/परामर्शदाता [Counselor] से सम्पर्क कर पीड़ित महिला को आवश्यक सहायता पहुँचायेगा।

17. विवेचक का यह दायित्व होगा कि इन अपराधों की विवेचना बिना देरी के निस्तारित करें ताकि अभियुक्त को धारा 167 दं0प्र0सं0 का लाभ मिलकर जमानत न मिले।

18. सभी पुलिस कर्मियों का समय-समय पर महिला सम्बन्धी अपराधों में प्रशिक्षण कराया जाता रहे।

19. थानाध्यक्ष या विवेचक का यह दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला का वर्तमान व स्थायी पता अपने पास रखे व पीड़ित महिला को यह अवश्य सलाह दें कि वह अपना पता बदलने पर थाने को सूचित करें।

20. यदि विवेचना या ट्रायल के उपरान्त पीड़ित महिला को किसी से भी धमकी प्राप्त होती है तो थानाध्यक्ष का दायित्व होगा कि तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

21. महिलाओं के प्रति घटित अपराधों में संलिप्त अभियुक्तगण की समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार अभियुक्तगणों की हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी व निरोधात्मक कार्यवाही करायें।
22. महिलाओं के साथ घटित बलात्कार एवं हिंसा, दुर्व्यवहार आदि के प्रकरण में मीडिया को ब्रीफिंग करते समय महिला के आचरण, रहन–सहन, कपड़े पहनने के तरीके एवं उसके व उसके साथी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न की जाय। घटना के सम्बन्ध में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्य एवं प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाय। किसी भी दशा में पीड़ित महिला पर उसके साथ हुए अपराध का दोष न मढ़ा जाय।
23. यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम–2013 की उचित धाराओं का प्रयोग अवश्य हो।
24. यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है तो भादवि में हुए संशोधन The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराना सुनिश्चित किया जाये।
25. पुलिस का यह दायित्व होगा कि वह पीड़िता से प्रश्न पूछने के पूर्व उसके विधिक अधिकारों के बारे में सूचित करे और इस बात का उल्लेख वह जी0डी0 (रोजनामचा आम) तथा सी0डी0 (रोजनामचा खास) में करे।
26. महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों में मदद करने को तत्पर अधिवक्ताओं की सूची प्रत्येक थाने पर रखी जाय।
27. पीड़िता का बयान अक्षरशः अंकित किया जाय।
28. अवयस्क बच्ची का बयान अंकित करते समय वर्दी न पहना जाय।
29. पीड़िता अवयस्क बच्ची का बयान अंकित करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। घटना का बिल्कुल तथ्यात्मक वर्णन किया जाय।
30. यदि विवेचक आवश्यक समझे तो किसी मनोचिकित्सक की मदद ले सकते हैं।
31. विवेचक यथाशीघ्र वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं जिनका परीक्षण आवश्यक है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला [FSL] भेजकर परीक्षण करायेगें। विधि विज्ञान प्रयोगशाला [FSL] ऐसे प्रकरणों में परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर करेगा।
32. विवेचक पीड़िता बच्ची की पहचान को सार्वजनिक नहीं करेगा।
33. यथासंभव विवेचक तत्काल फील्ड यूनिट की टीम को बुलाकर उनकी सहायता व मार्गदर्शन में घटनास्थल से साक्ष्य संकलित करेगा।
34. शिकायतकर्ता/पीड़िता को विवेचना की प्रगति से अवगत कराया जाय। यदि शिकायतकर्ता इस दौरान कोई लिखित जानकारी देता है कि विवेचक उसकी प्रविष्टि केस डायरी [C.D.] में अवश्य करेगा तथा उस आधार पर कृत कार्यवाही का उल्लेख भी करेगा।
35. यथासंभव पीड़िता बच्ची के बयान की भी वीडियोग्राफी कराई जाय।

36. पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पीड़िता जिस भाषा को समझती हो उसी भाषा में उससे प्रश्न पूछे जायं।

37. यह सुनिश्चित किया जाय कि पीड़िता को घटनास्थल निरीक्षण के लिए कम से कम बार बुलाया जाय। इसके लिए आवश्यक है कि प्रारम्भ में ही विवेचक और अन्य टीमें साथ–साथ घटनास्थल पर जाकर समस्त जानकारी कर लें।

(10) **चिकित्सकीय परीक्षण–(Medical Examination)**

1. महिला पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण महिला डाक्टर द्वारा ही किया जाय।
2. चिकित्सकीय परीक्षण के पूर्व यथासंभव मनोचिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध कराई जायं।
3. चिकित्सक परीक्षण रिपोर्ट सावधानी से तत्परतापूर्वक तैयार की जाय और डाक्टरों द्वारा हस्ताक्षरित करके उसकी एक प्रति अभिभावक/संरक्षक को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।
4. परीक्षण रिपोर्ट में देरी की संभावना हो तो उसका उल्लेख किया जाय।
5. चिकित्सकीय परीक्षण के समय अभिभावक/संरक्षक और पीड़िता का जिस व्यक्ति पर भरोसा हो उसे उपस्थित रहने दिया जाय।
6. यदि आवश्यक हो तो आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाय।
7. यौन प्रसारित बीमारियों (STD) की रोकथाम के लिए तत्काल रोग निरोधक इलाज दिया जायेगा।
8. यदि कोई पीड़िता प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम में लाई जाती है तो उसका तत्काल इलाज किया जायेगा और नजदीकी थाना को सूचित किया जायेगा।

(11) **मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान अंकित करना–**

1. पीड़िता बच्ची का बयान सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा तत्परतापूर्वक अंकित किया जायेगा। यदि विलम्ब होता है तो कारण अंकित किया जायेगा।
2. यदि पीड़िता अस्पताल में है तो उसका बयान अस्पताल में ही अंकित किया जायेगा।
3. बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए न्यायालय परिसर में ही एक अलग कमरा उपलब्ध होना चाहिए, जहॉ बच्चों का बयान दर्ज किया जा सके। बच्चों को अपने माता–पिता/संरक्षक से अलग नहीं किया जायेगा, जब तक कि न्यायहित में ऐसा करना आवश्यक न हो अथवा माता–पिता की बदनीयती प्रकाश में न आई हो।
4. जहॉ तक संभव हो पीड़िता के बयान की भी वीडियो रिकार्डिंग कराई जाय।
5. कोई भी न्यायालय किसी भी बच्चे को वयस्कों की संस्था में निरूद्व नहीं करेगा।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(आर0एम0श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

**संख्या–265(1)/छः–पु0–15–2013 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7– अपर महानिदेशक, सीआईडी/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।